



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 97 राँची, शुक्रवार,

12 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

27 जनवरी, 2021

संख्या--5/आरोप-1-13/2019-835 (HRMS)-- राम रतन कुमार वर्णवाल, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-904/मनरेगा, दिनांक 14.12.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये:-

“15 जून, 2017 को जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, पलामू की बैठक में माननीय स0वि0स0, छत्तरपुर के द्वारा मनरेगा से निर्मित डोभा का समुचित उपयोग नहीं किये जाने की शिकायत के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर को जाँच करने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में पत्रांक-410, दिनांक 08.05.2018 के प्रतिवेदित किया गया कि मनरेगा अन्तर्गत मुर्गी एवं बकरी पालन हेतु शेड का निर्माण मुर्गी पालन के उपयोग के लिए किया जा रहा है। शेड का निर्माण आवास के रूप में अवस्थित होने की शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई। जिसमें 05 डोभा निर्माण की योजनाओं में अनियमितता प्रमाणित किया गया है। जिसके आलोक में कार्यालय के पत्रांक-734, दिनांक 11.10.2018 के द्वारा लोकपाल मनरेगा, पलामू से योजनाओं की जाँच कराई गई। लोकपाल मनरेगा, पलामू के पत्रांक-75, दिनांक 25.10.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया जिसमें 04 डोभा निर्माण की योजनाओं में अनियमितता प्रमाणित किया गया है तथा 2 शेड की

योजनाओं में अभिलेख का संधारण ठीक तरह से नहीं करने के आरोप लगाया गया है।

इनका यह कृत्य सरकार के महत्वकांक्षी योजनाओं में लापरवाही बरतने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं मनमाने आचरण का परिचायक है तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल है।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2449, दिनांक 19.03.2019 द्वारा श्री वर्णवाल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। इसके अनुपालन में श्री वर्णवाल के पत्रांक-476, दिनांक 01.07.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। अपने स्पष्टीकरण में श्री वर्णवाल द्वारा निम्न तथ्यों उल्लेख किया गया-

- (i) मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4.1009(NAREGA/2009/ग्रावि0 (खण्ड-ii)-672, दिनांक 06.04.2016 के द्वारा 1.5 लाख ₹0 तक की प्राक्कलित राशि वाले डोभा में कनीय अभियंता का तकनीकी प्राक्कलन का स्वीकृति हेतु पर्याप्त होने का विभागीय आदेश प्राप्त है एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर कनीय अभियंता से राशि की वसूली करने का आदेश प्राप्त है। इनके द्वारा प्राक्कलन के आधार पर मात्र योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मनरेगा योजना में भुगतान से संबंधित कार्रवाई संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव एवं मुखिया के डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा किया जाता है। राशि की निकासी में इनकी कोई भूमिका नहीं है।
- (ii) मनरेगा मार्गनिर्देशिका के अनुसार सूचना पट्ट नहीं पाये जाने पर तीन दिनों के अंदर रोजगार सेवक के द्वारा लगाये जाने का प्रावधान है। साथ ही, पंचायत सचिव एवं मुखिया से जुर्माना वसूली का प्रावधान किया गया है।
- (iii) योजना का फोटोग्राफ एम0आई0एस0 में अपलोड से संबंधी कार्य ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में मनरेगा ऑपरेटर द्वारा कराया जाता है।
- (iv) पंचायत स्तरीय मनरेगा योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा देने के पश्चात् अभिलेख पुनः पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सेवक को वापस कर दिया जाता है तथा अभिलेख संबंधित पंचायत के पंचायत भवन में रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव के द्वारा संधारित किया जाता है।
- (v) प्यारी देवी के खेत में डोभा निर्माण एवं राजदेव यादव के खेत में डोभा निर्माण संबंधी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति इनके पूर्ववर्ती प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रदान की गई है।
- (vi) डोभा निर्माण योजनाओं की जाँच योजना स्वीकृति के लगभग दो से तीन वर्षों के पश्चात् की गई है।
- (vii) मनरेगा लोकपाल द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन सिर्फ एक योजना- तेतरी देवी के खेत में डोभा निर्माण में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से भी राशि वसूली की अनुशंसा की गई है, जबकि अन्य योजनाओं में संबंधित मेठ, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता, मुखिया एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी से राशि वसूली एवं अर्थदण्ड की अनुशंसा की गई है।

श्री वर्णवाल के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6366, दिनांक 07.08.2019 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-769/मनरेगा, दिनांक 09.12.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपायुक्त, पलामू द्वारा उल्लेख किया गया कि श्री वर्णवाल, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छतरपुर के द्वारा योजनाओं का सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण योजनाओं में अनियमितता बरती गयी है, जिसके लिए ये पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं।

श्री वर्णवाल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू के मंतव्य के समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत, उपायुक्त, पलामू के मंतव्य के आलोक में योजनाओं के पर्यवेक्षण में चूक का दोषी मानते हुए श्री राम रतन कुमार वर्णवाल, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAM RATAN KUMAR BARNWAL JHK/JAS/181	श्री राम रतन कुमार वर्णवाल, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है की इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राम रतन कुमार वर्णवाल, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
